31.10.18

आज पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। अवलोकन किया। ...
यह रैफरेंस पत्रावली मण्डल के निर्णय दिनांक 2.4.2018 की प्रति के साथ प्राप्त हुई है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2.4.2018 की मंशा के अनुसार प्रकरण में पूर्ण रूपेण जांच का अभाव पाया गया है। चूंकि माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2.4.2018 के द्वितीय अंतिम पैरा में यह स्पष्ट किया है कि पूर्व में प्रश्नगत भूमि के संबध में आवंटन को निरस्त कराने हेतु नियम 14(4) की कार्यवाही की गई थी जिसमें माननीय मण्डल की एकलपीठ द्वारा द्वितीय अपील संख्या 19/82 में पारित निर्णय दिनांक 13.8.1987 पारित किया गया जिसमें अपील को खारिज किया गया। इस अभिशंषित रैफरेंस में मण्डल के निर्णय का हवाला नहीं दिया गया है। न ही इस बिन्दु का परीक्षण किया गया है। लिहाजा माननीय मण्डल द्वारा यह रैफरेंस वापिस लौटाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि निर्णय में दिये गये विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण में पुनः परीक्षण करावें और परीक्षण उपरान्त यदि आवश्यक हो तो नये सिरे से, विस्तृत विवेचन के उपरान्त पुनः रैफरेंस कार्यवाही अभिशंषित करावें।

अतः ऐसी स्थिति में भूमिधारी तहसीलदार रूपवास को मण्डल के निर्णय दिनांक 2.4.2018 की प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि मण्डल के निर्णय की अक्षरशः पालना करते हुये यदि बाद जांच परीक्षण/बाद वांछित रिकार्ड पूर्ति यह प्रकरण रैफरेंस योग्य पाया जाता है तो ही पुनः नये सिरे से 3 माह के भीतर–भीतर पेश करने की स्वतन्त्रता के साथ यह पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। आदेश की एक प्रति तत्काल तहसीलदार रूपवास/राजस्व शाखा कलैक्ट्रेट भरतपुर को पालना हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। आज्ञा सुनाई गई।